सर्व शिक्षा अभियान

[illegible]

[illegible] परियोजना कार्यालय,

[illegible] सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -[illegible] 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक गु0वि0— सेवारत शिक्षक प्रशि0—मॉड्यूल /2597/2011—12 दि03/0अगस्त, 2011

विषयः— **सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु "संवाद" हस्तपुस्तिका मुद्रण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गु0वि0—सेवारत प्रशिक्षण/2063/2011—12 दिनांक 03 अगस्त, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपदीय संदर्भदाताओं, शैक्षिक प्रशासकों एवं समस्त शिक्षकों को 'संवाद' हस्तपुस्तिका मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त के संबंध में सूच्य है कि "संवाद" हस्तपुस्तिका का मुद्रण, सत्यापन, वितरण एवं भुगतान निम्न निर्देशों के अन्तर्गत कराया जायेगा :—

- जनपदों में प्रशिक्षण सम्पन्न कराने हेतु समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को 'संवाद' हस्तपुस्तिका की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (संलग्न) एवं मुद्रण विशिष्टियाँ इस पत्र के साथ उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार मुद्रण कराया जायेगा।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इस हस्तपुस्तिका की 01—01 प्रति प्रत्येक जनपदीय शैक्षिक अधिकारी, प्रत्येक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 समन्वयक, प्रत्येक एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 समन्वयक, प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षामित्र को उपलब्ध करायी जायेंगी। मण्डल मुख्यालय के जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भी हस्तपुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध करायेंगे।
- 'संवाद' हस्तपुस्तिका की मुद्रण विशिष्टियाँ निम्नवत होंगी :—

| क0 सं0 | विवरण | स्पेसिफिकेशन |
|---|---|---|
| 1 | हस्तपुस्तिका का साइज़ | 280 X 215 मिमी0 |
| 2 | कागज़ का प्रकार (आवरण पृष्ठ) | कवर पेज 150 जी0एस0एम0 आर्ट कार्ड |
| 3 | अन्तः पृष्ठ | 70 जी0एस0एम0, वर्जिन पल्प पर व्हाइट मैपलीथो पेपर। |
| 4 | हस्तपुस्तिका की छपाई | आवरण पृष्ठ चार रंगो में एवं अन्तः पृष्ठ काला एवं सफेद |
| 5 | हस्तपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या | 244 पृष्ठ (आवरण पृष्ठ सहित) |

- हस्तपुस्तिका वितरित करने से पूर्व उक्त विशिष्टियों एवं संख्या का अनिवार्य रूप से सत्यापन तीन सदस्यीय समिति से कराया जाये, जिसमे प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा

दूरभाष : [illegible], 2781316 फैक्स : 0522-2781123, [illegible], 2781316 ई-मेल : [illegible]

नामित एक–एक प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रवक्ता तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) सदस्य होंगे। सत्यापन व वितरण की प्रविष्टियाँ नियमानुसार संस्थान के अभिलेखों में दर्ज की जायेंगी।

- सत्यापन समिति द्वारा संख्या के अतिरिक्त नमूने की प्रति के आधार पर आपूर्तित हस्तपुस्तिकाओं के आकार एवं मुद्रण की गुणवत्ता का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन समिति अधोमानक हस्तपुस्तिका आपूर्ति की पुष्टि की दशा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आकार, मुद्रण की गुणवत्ता, कागज की गुणवत्ता के संबंध में प्रत्येक विशिष्ट के सापेक्ष 5–5 प्रतिशत तक कटौती की जायेगी। संख्या में कमी होने पर कम हस्तपुस्तिकाओं के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। सत्यापन आख्या के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
- भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी तथा फर्म को इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- सत्यापनोपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पहले प्रतिभागियों को हस्तपुस्तिका का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 के संदर्भदाताओं एवं सभी शिक्षकों/शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका के अनुरूप कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षक/शिक्षामित्र के पास विद्यालय में "संवाद" हस्तपुस्तिका की उपलब्धता अनिवार्य रूप में सुनिश्चित की जायेगी।
- "संवाद" हस्तपुस्तिका के मुद्रण पर होने वाला व्यय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मद से वहन किया जायेगा। सूच्य है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा "संवाद" हस्तपुस्तिका की 409 प्रतियाँ मुद्रित करायी गयी हैं, जिसमें प्रति हस्तपुस्तिका वैट सहित लागत ₹ 48.80/– प्रति हस्तपुस्तिका आयी है।
- मुद्रित करायी गयी "संवाद" हस्तपुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जनपद का नाम एवं मुद्रित प्रतियों की संख्या अंकित करायी जायेगी।
- मुद्रित करायी गयी "संवाद" हस्तपुस्तिका की एक प्रति जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–उक्तवत्।**

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 गु0वि0– सेवारत शिक्षक प्रशि0–मॉडयूल /3597/2011–12 तददिनॉक।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(शैलबाला पन्त)
विशेषज्ञ